राजस्थान सरकार

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 32 / 2025 अपील

| | |
|---|---|
| 1. सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र छोगा लाल शर्मा निवासी–पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा | बनाम जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा |
| –अपीलार्थी | –रेस्पोडेण्ट |

**अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा के आदेश कमांक / रसद अभियोजन 2025 प्रकरण संख्या–03 / 2025 दिनांकित 05.03.2025**

उपस्थित –

1. श्री कैलाश राव अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विभागीय पैरोकार – विपक्षी की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

## निर्णय

दिनांक 19.08.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विरूद्ध जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के आदेश संख्या / रसद / अभियोजन 2025 / 03 दिनांक 05.03.2025 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी सन् 2005 से पालड़ी ग्राम में सरकार के दिशा–निर्देशों में उचित मूल्य की दुकान का नियमानुसार संचालन कर रहा है। जनवरी 2025 में अपीलार्थी की दुकान में गेंहू के कट्टे जो दुकान में आए उनको भण्डारन हेतु भवन सुविधा नहीं थी तो अपीलार्थी ने 143 क्विन्टल 42 किलो 200 ग्राम गेहु का अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत पालडी व सतर्कता समिति के सदस्यों से अनुमति प्राप्त कर, अपीलार्थी की निजी दुकान पर भण्डारन किया गया था। दिनांक 03.03.2025 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया था, उस समय दुकान पर मूल्य सूची बोर्ड चस्पा था और 143 क्विन्टल 42 किलो 200 ग्राम गेंहू उचित मूल्य की दुकान पर नहीं होकर अन्य दुकान पर थे। जिसका प्रवर्तन निरीक्षक ने भौतिक सत्यापन यह कहकर नहीं किया कि गेंहू उचित मूल्य की दुकान पर नहीं है। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपीलार्थी के विरूद्ध बनाए फर्द मौका अनुसार विपक्षी ने दिनांक 05.03.2025 को तीन आरोप निर्धारित किए गए। पहला आरोप 143 क्विन्टल 42 किलो 200 ग्राम गेंहू मौके पर नहीं पाए, जबकि अन्य दुकान में भंडारन थे जो मौके पर अवगत करा दिया गया था। दूसरा आरोप मूल्य सूची व स्टॉक बोर्ड का नहीं होना बताया जबकि अन्य मौके पर मूल्य सूची व स्टॉक बोर्ड लगा हुआ था। तीसरा आरोप

अति जिला कलक्टर भीलवाड़ा

को सुनवायी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20.03.2025 दी गयी थी। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 20.03.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिसके खण्डन में विभागीय पेरोकार द्वारा कोई कथन/साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये गये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश संख्या रसद/अभियोजन /2025/प्र.सं. 03/25 दिनांक 05.03.2025 को अपास्त किया जाकर, प्रकरण में बिन्दु वाईज परीक्षण किया जाकर अपीलाण्ट उचित मूल्य दुकानदार की पूर्ण सुनवायी की जाकर एवं दस्तावेज का परीक्षण उपरांत अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित ठहरता हैं। अतएव–

## आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश संख्या रसद/अभियोजन /2025/प्र.सं. 03/25 दिनांक 05.03.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण में बिन्दु वाईज परीक्षण किया जाकर अपीलाण्ट उचित मूल्य दुकानदार की पूर्ण सुनवायी की जाकर एवं दस्तावेज का परीक्षण उपरांत अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)